

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): घरेलू प्रसव

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.1.4.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए घरेलू प्रसव हेतु भी सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है ।

इकाई राशि (रु० में) :500/- प्रति घरेलू प्रसव

वित्तीय दिशा निर्देश :

घरेलू प्रसव हेतु सहायता पैकेज - घरेलू प्रसव का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रु० 500/- देय होगा । पूर्व से लागू दो शर्त क्रमशः प्रथम शर्त महिला लाभार्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 19 वर्ष/19 वर्ष से अधिक हो एवं द्वितीय शर्त केवल दो बच्चे (मृत शिशु पर भी देय है) के जन्म तक देय था। उपर्युक्त दोनों प्रावधानों को हटाते हुए केवल बी.पी.एल. परिवार के प्रसूति माताओं को राशि देय होगी । यह आदेश दिनांक 08.05.2013 से प्रभावी होगा। तत्संबंधित पत्र SHSB/PM/22/2005-VII/4399, दिनांक:-27.05.2013 संलग्न है । तथा भुगतान करने की प्रक्रिया पूर्व प्रेषित पत्रांक SHSB/MCH/81/2009/18732, दिनांक: 26/07/2010 के अनुसार यथावत रहेगी ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) SHSB/MCH/81/2009/18732, दिनांक:-26.07.2010(संलग्न)

(ख) SHSB/PM/22/2005-VII/4399, दिनांक:-27.05.2013(संलग्न)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,

13/7/13

Sanjay 10/7/13

R



STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014.

Tel : 0612-2290340, 2281545. Fax: 2290322. website: www.statehealthsocietybihar.org



संजय कुमार, भा०प्र०स०
सचिव, स्वास्थ्य
-सह-
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:-SHSB/PM/22/2005-VII/4399

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

पटना, दिनांक:-27/05/2013

विषय:- जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत घरेलू प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि देने संबंधी शर्तों को हटाये जाने के संबंध में।

प्रसंग: GOI MOHFW, N. Delhi का पत्र No. Z. 14018/1/2012-JSY, दिनांक 03.05.2012

प्रसंग: ED Cell, 286- दिनांक 21.08.2007, पत्रांक 5032-दिनांक 21.01.08, पत्रांक SHSB/MCH/81/2009/18732, दिनांक 26/07/2010

महाशया/महाशय,

विदित हो कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का विभिन्न पत्रों एवं वित्तीय दिशा निर्देश द्वारा निवेश दिया गया है कि जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत घर में जन्म देने वाली माताओं के लिए भी निम्नलिखित शर्तों के अनुपालनोपरांत घरेलू प्रसव हेतु लाभार्थी को 500/- रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देय है-

1. महिला लाभार्थी का उम्र सीमा 19 वर्ष/19 वर्ष से ज्यादा हो (सक्षम प्राधिकारी)
2. यह सुविधा केवल दो बच्चे (मृत शिशु पर भी देय है) के जन्म तक देय है ।
3. यह सुविधा केवल दी०पी०एल० कार्डधारी महिला का देय है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार का प्राप्त पारामिक्त पत्र No. Z. 14018/1/2012-JSY, दिनांक 03.05.2012 के संदर्भ में सूचित करना है कि जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत घरेलू प्रसव के लिए उक्त तीन शर्तों में से दो शर्त क्रमशः प्रथम शर्त महिला लाभार्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 19 वर्ष/19 वर्ष से ज्यादा हो एवं द्वितीय शर्त केवल दो बच्चे (मृत शिशु पर भी देय है) के जन्म तक देय, को हटा दिया गया है।

विदित हो कि उपरोक्त दोनों शर्तों के कारण जिलों में घरेलू प्रसव के भुगतान करने की प्रक्रिया हेतु ए. एन.एम. के द्वारा उपरोक्त दो अहताएँ को सत्यापित करने में काफी कठिनाई हो रही थी, जिसके फलस्वरूप घरेलू प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो रहा था ।

13/7/13
[Signature]





STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014.

Tel: 0612 2290340, 2281545. Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org



अत्र निदेशित है कि घरेलू प्रसव का लाभ प्राप्त करने हेतु आयी महिला लाभार्थी को सिर्फ बी०पी०एल० कार्डधारी की अर्हता पूरा करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 500/- का भुगतान शत-प्रतिशत लाभार्थी को सुनिश्चित किया जाए। भुगतान करने की प्रक्रिया पूर्व प्रेषित पत्रांक SHSB/MCH/81/2009/ 18732, दिनांक: 26/07/2010 के अनुसार यथावत रहेगी। यह दिनांक 08.05.2013 से लागू है।

विश्वासभाजन

८०/-

(संजय कुमार)

ज्ञापक: 4398

पटना, दिनांक: 27/05/2013

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय सपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित है कि अपने क्षेत्र में घरेलू प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में 500/- का भुगतान शत-प्रतिशत लाभार्थी को सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि: राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, आई.ई.सी./डी.सी.सी., राज्य स्वास्थ्य समिति, विहार को सूचनार्थ एवं सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रेस विज्ञप्ति/विज्ञापन हेतु प्रेषित।

सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

13/7/13

8/5



State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org



संजय कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:-SHSB/MCH/81/2009/...18782.....

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन
बिहार ।

पटना, दिनांक:-26/07/2010

विषय:- जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत घरेलू प्रसव हेतु नगद भुगतान के संबंध में ।

महाशय/महाशया

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि हाल में भारत सरकार की तरफ से JRM टीम, ने खगड़िया एवं गया जिला का भ्रमण किया । क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि घरेलू प्रसव हेतु लाभार्थियों का भुगतान नहीं किया जा रहा है । इस संदर्भ में वर्ष 2009-10 में जिलावार घरेलू प्रसव का प्रगति प्रतिवेदन संलग्न किया जाता है । राज्य के 38 में से 35 जिलों की प्रगति शून्य है तथा 3 जिलों में नाकाफी है । घरेलू प्रसव हेतु दिशा निर्देश सभी सिविल सर्जन को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक:-SHSB/MCH/15/2007/5032, दिनांक:-21.01.08 द्वारा दी जा चुकी है (प्रतिलिपि संलग्न)। पत्र द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों को अनुपालन कर भुगतान सुनिश्चित किया जाना है -


1. प्रत्येक घरेलू प्रसव का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रु० 500/- महिला लाभार्थी को देय होगा ।
2. महिला लाभार्थी का उम्र सीमा 19 वर्ष/19 वर्ष से ज्यादा हो ।(सक्षम प्राधिकारी)
3. यह सुविधा केवल वी०पी०एल० कार्डधारी महिला को देय है ।
4. यह राशि केवल दो बच्चे (मृत शिशु पर भी देय है) के जन्म तक देय है ।
5. प्रसव के समय राशि का भुगतान देय है ।


इस योजना का उद्देश्य है कि प्रत्येक गर्भवती महिला प्रसव हेतु आकस्मिक व्यय एवं अपनी देखभाल को पूरा कर सके । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा PUCL 196/2001 में यह स्पष्ट किया गया है कि घर में हुए प्रसव के लिए माताओं को घरेलू प्रसव हेतु भुगतान किया जाना है । उपर्युक्त तथ्य के अनुसार लाभार्थियों को भुगतान हेतु प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित करें ।

1. इस राशि का भुगतान ए०एन०एम० के माध्यम से किया जाए । साथ ही संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करवाना होगा एवं जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता को 500 रु०/- की राशि देय होगी । जन्म प्रमाण पत्र के प्राप्ति रशीद पर ही 500 रु०/- के भुगतान की प्राप्ति भी सुनिश्चित की जाए । यह बात ध्यान में रखा जाए कि ANM को अतिरिक्त राशि JBSY मद से माताओं को घरेलू प्रसव हेतु रु०500/- देय है । मुस्कान कार्यक्रम के तहत हर शुक्रवार को ANM द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी भुगतान किया जा सकता है ।
2. घरेलू प्रसव हेतु ANM द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी का अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर एवं हाउस न० अंकित कर एवं उपर्युक्त पाँचों बिन्दुओं को सुनिश्चित कर ही भुगतान किया जाना है ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार)



SI. NO.	District	A.1.4.1
		Exp. In Home Deliveries as per FMR submitted by district.of 2009-10(Rs.in lakh)
1	Araria	0.00
2	Arwal	0.00
3	Aurangabad	0.00
4	Banka	0.06
5	Begusarai	0.00
6	Bhagalpur	0.00
7	Bhojpur	0.00
8	Buxar	0.00
9	Champanan-E	0.00
10	Champanan-W	0.00
11	Darbhanga	0.00
12	Gaya	0.22
13	Gopalganj	0.00
14	Jahanabad	0.00
15	Jamui	0.00
16	Kaimur	0.00
17	Katihar	0.00
18	Khagaria	0.00
19	Kishanganj	0.00
20	Lakhisarai	0.00
21	Madhepura	0.00
22	Madhubani	0.00
23	Munger	0.00
24	Muzaffarpur	0.08
25	Nalanda	0.00
26	Nawada	0.00
27	Patna	0.00
28	Purnia	0.00
29	Rohtas	0.00
30	Saharsa	0.00
31	Samastipur	0.00
32	Saran	0.00
33	Sheikhpura	0.00
34	Sheohar	0.00
35	Sitamarhi	0.00
36	Siwan	0.00
37	Supaul	0.00
38	Vaishali	0.00
Total		0.36

8/1
26.9.10